

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'डी' अहमदाबाद ।

**समक्ष: श्री टी.आर. सेन्थिल कुमार, न्यायिक सदस्य एवं
श्री मकरंद वी. महादेवकर, लेखा सदस्य**

आयकर अपील सं. 745/एएचडी/2024
(निर्धारण वर्ष: लागू नहीं)

ब्रह्मक्षत्रिय कानजी दामजी हिन्दु
सार्वजनिक धर्मशाला पालिताणा
भावनगर ।

स्थायी ले.सं. एएईटीबी7023जे

(अपीलार्थी)

बनाम आयकर आयुक्त (छूट)
अहमदाबाद ।

(प्रत्यर्थी)

निर्धारिती की ओर से
राजस्व की ओर से

श्री मोहित बालानी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
श्री पृथ्वीराज मीना, सीआईटी- डी.आर.

सुनवाई की तारीख
उच्चारण की तारीख

23.09.2024
27.09.2024

आदेश

श्री टी.आर. सेन्थिल कुमार, न्यायिक सदस्य द्वारा

यह अपील आयकर आयुक्त(छूट) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के विरुद्ध निर्धारिती द्वारा दायर की गई है, जिसमें आवेदन को विलंब से दायर करने के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5) के तहत पंजीकरण करने से इनकार कर दिया गया था।

2. प्रारंभ में, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 23.09.2024 के पत्र के माध्यम से कहा कि सीबीडीटी परिपत्र संख्या 7/2024 दिनांक 25.04.2024 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 80जी(5) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 30.06.2024 तक बढ़ा दी गई है और निर्धारिती ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त(छूट) के समक्ष धारा

80जी(5) के तहत अंतिम पंजीकरण के लिए पावती सं. 433617330140624 के साथ 14.06.2024 को नया आवेदन दायर किया है, इसलिए ट्रस्ट द्वारा दायर वर्तमान अपील को वापस लेने का अनुरोध किया गया है।

3. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान विभागीय प्रतिनिधि श्री पृथ्वीराज मीना को उपरोक्त अपील वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त बयान को दर्ज करते हुए, निर्धारिती द्वारा दायर अपील को वापस ली गई मानकर एतद द्वारा खारिज करते हैं। विद्वान सीआईटी(ई) को कानून के अनुसार अधिनियम की धारा 80जी(5) के तहत पंजीकरण के लिए नए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

5. परिणामतः निर्धारिती द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है।

दिनांक: 27.09.2024 को आदेश को खुले न्यायालय में उच्चारित किया गया।

हस्ता/-

(मकरंद वी. महादेवकर)

लेखा सदस्य

अहमदाबाद।

दिनांक: 27/09/2024

सुमरा

आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. निर्धारिती
2. राजस्व
3. संबंधित आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त(अपील)
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।
6. गार्ड फाइल

आदेश से,

उप/सहायक पंजीकार

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद ।